कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची

अति अल्पकालीन निविदा

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक – N-526, दिनांक 03.06.2020 के आलोक में मनरेगा अन्तर्गत राँची जिला के सभी प्रखण्डों में "बिरसा हरित ग्राम योजना" के तहत् बागवानी योजना हेतु महोगनी, कटहल, शहजन, गम्हार, शीशम, सागवान, बकैन, ग्लिरिसिडिया, करंज, नीम के पौधा का गुणवत्तापूर्ण खरीददारी के लिए दर निर्धारण हेतु इच्छुक नर्सरी से निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त पौधों के खरीददारी हेतु उल्लेखित नियम एवं शर्त्तों का अनुपालन आवश्यक होगा।

➢ **महोगनी, कटहल, शहजन, गम्हार, शीशम, सागवान, बकैन, ग्लिरिसिडिया, करंज, नीम के पौधों की खरीददारी हेतु शर्त्तें निम्नवत् हैः–**

1. Poly-tube 5 से 7 इंच का हो।
2. Collar Girth (घेरा) 0.5 इंच या उससे अधिक होना चाहिए।
3. पौधे की लम्बाई 2 से 3 फीट की हो।
4. पौधा स्वस्थ कीटों एवं रोगों से मुक्त होना चाहिए।
5. गम्हार, शीशम एवं सागवान के Root Shoot पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी।

पौधा क्रय के समय वैसे पौधों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा जो Poly-tube में तैयार किये हों एवं उनमें मूल जड़ (Tap root) उपलब्ध हो। साथ ही वैसे पौधे को भी प्राथमिकता दी जा सकती है जिनको बड़े आकार के Poly-tube में तैयार किया गया हो।

इच्छुक निविदादाता उक्त पत्रांक एवं निविदा के नियम एवं शर्त्तों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, विकास भवन, कचहरी रोड, राँची एवं राँची जिला के वेबसाइट www.ranchi.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

प्रखण्ड / पंचायत द्वारा निर्गत कार्यादेश के आलोक में जिला द्वारा चयनित आपूर्तिकर्त्ता द्वारा योजना स्थल पर पौधों का आपूर्ति किया जायेगा।

इच्छुक प्रतिष्ठान / आपूर्तिकर्त्ताओं से निविदा दिनांक 08.07.2020 के अपराहन् 02.00 बजे तक सीलबंद लिफाफे में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, विकास भवन, कचहरी रोड, राँची में जमा किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों को उसी दिन दिनांक 08.07.2020 को अपराहन् 03.00 बजे उप विकास आयुक्त –सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, राँची की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष चयन हेतु कार्यालय प्रकोष्ठ में खोला जायेगा।

निविदा की नियम एवं शर्त्त

निविदादाता को निविदा दो भागों में अलग–अलग (सीलबन्द लिफाफा) में देना अनिवार्य होगा।

(क) तकनीकी निविदाः–

1. Last year Income Tax Return
2. GST Registration
3. प्रतिभूति की राशि के रूप में 1,000/–(एक हजार) रूपया का बैंक ड्राफ्ट जो D.R.D.A Ranchi के नाम से राँची में भुगतेय हो, संलग्न किया जाय।
4. नर्सरी का Liscence Certificate

Scanned by CamScanner

(ख) वित्तीय निविदाः–

1. महोगनी दर प्रति पौधा।
2. कटहल दर प्रति पौधा।
3. शहजन दर प्रति पौधा।
4. गम्हार दर प्रति पौधा।
5. शीशम दर प्रति पौधा।
6. सागवान दर प्रति पौधा।
7. बकैन दर प्रति पौधा।
8. ग्लिरिसिडिया दर प्रति पौधा।
9. करंज दर प्रति पौधा।
10. नीम दर प्रति पौधा।

नोटः– 1. कार्य स्थल तक पौधा आपूर्ति करने हेतु सभी प्रकार के कर, GST एवं परिवहन व्यय आदि सहित दर प्रति पौधा का उल्लेख करना है।
2. निविदादाता को निविदा खुलने के दिन पौधों का नमूना लाना अनिवार्य है।

उप विकास आयुक्त
–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राँची।

ज्ञापांक 484(ii)/जि0ग्रा0 दिनांक 27/06/2020

प्रतिलिपिः– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में ससमय प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान केन्द्र, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि राँची जिला के वेबसाइट www.ranchi.nic.in पर उक्त निविदा की विवरणी अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
प्रतिलिपिः– मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– उपायुक्त, राँची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

Ananya Mittal

उप विकास आयुक्त
–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राँची।

Scanned by CamScanner